



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112025-267926
CG-DL-E-24112025-267926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5165]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5341(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६(१९५६का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले के तालुका लातूर में राष्ट्रीय महामार्ग ६३ कि.मी. २०+४७० (येडशी) से कि.मी.८८+१५० (लातूर) महाराष्ट्र तक के निर्माण (दो चार लेन पेव्हड शोल्डर का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा,

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी लातूर लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग ६३ टेंभुर्णी-कुईवाडी-बाशी-येडशी-मुरुड-लातूर पैकेज-३ कि.मी.२०+४७० (येडशी) से कि.मी.८८+१५० (लातूर) महाराष्ट्र तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: लातूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लातूर					
गांव का नाम: मुरुड बु					
1	629	निजी	कृषि	0.108 (हेक्टेयर)	0.108
2	630	निजी	कृषि	0.092 (हेक्टेयर)	0.092
3	631	निजी	कृषि	0.1305 (हेक्टेयर)	0.1305
4	654	निजी	कृषि	0.1565 (हेक्टेयर)	0.1565
गांव का नाम: करकट्टा					
5	125	निजी	कृषि	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
6	128	निजी	कृषि	0.0845 (हेक्टेयर)	0.0845
7	145	निजी	कृषि	0.0232 (हेक्टेयर)	0.0232
8	148	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
9	181	निजी	कृषि	0.091 (हेक्टेयर)	0.091
10	193	निजी	कृषि	0.062 (हेक्टेयर)	0.062
11	194	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
12	195	निजी	कृषि	0.033 (हेक्टेयर)	0.033
गांव का नाम: मुरुड अकोला					
13	194	निजी	कृषि	0.225 (हेक्टेयर)	0.225
14	233	निजी	कृषि	0.225 (हेक्टेयर)	0.225
गांव का नाम: हरंगुल बु.					
15	111	निजी	कृषि	0.145 (हेक्टेयर)	0.145

16	112	निजी	कृषी	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
17	118	निजी	कृषी	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
18	119	निजी	कृषी	0.2232 (हेक्टेयर)	0.2232
19	121	निजी	कृषी	0.3342 (हेक्टेयर)	0.3342
20	122	निजी	कृषी	0.8667 (हेक्टेयर)	0.8667
21	158	निजी	कृषी	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
22	159	निजी	कृषी	0.0565 (हेक्टेयर)	0.0565
23	160	निजी	कृषी	0.111 (हेक्टेयर)	0.111
24	161	निजी	कृषी	0.801 (हेक्टेयर)	0.801
25	170	निजी	कृषी	0.0456 (हेक्टेयर)	0.0456
Total					4.0476

[फा. सं. NH-Inprinciple-MHR-2016-17-1011/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2025

S.O. 5341(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **building (widening /two,four-laning, Paved shoulder etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 63, in the stretch of land from Tembhurni-Kurduwadi-Barshi-Yedshi- Murud-Latur Package-3 Km. 20+470(Yedshi) To Km.88+150 (Latur) in the District of Latur , in the State of Maharashtra,** hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer Latur** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by-order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch land of NH-63 Tembhurni-Kurduwadi-Barshi-Yedshi- Murud-Latur from Package-3 Km. 20+470 (Yedshi) to Km. 88+150 (Latur) in the District of Latur in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Latur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Latur					
Village: Murud Bk.					
1	629	Private	Agriculture	0.108 (Hectare)	0.108
2	630	Private	Agriculture	0.092 (Hectare)	0.092
3	631	Private	Agriculture	0.1305 (Hectare)	0.1305
4	654	Private	Agriculture	0.1565 (Hectare)	0.1565
Village: Karkatta					
5	125	Private	Agriculture	0.0175 (Hectare)	0.0175
6	128	Private	Agriculture	0.0845 (Hectare)	0.0845
7	145	Private	Agriculture	0.0232 (Hectare)	0.0232
8	148	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
9	181	Private	Agriculture	0.091 (Hectare)	0.091
10	193	Private	Agriculture	0.062 (Hectare)	0.062
11	194	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
12	195	Private	Agriculture	0.033 (Hectare)	0.033
Village: Murud Akola					
13	194	Private	Agriculture	0.225 (Hectare)	0.225
14	233	Private	Agriculture	0.225 (Hectare)	0.225
Village: Harangul Bk.					
15	111	Private	Agriculture	0.145 (Hectare)	0.145
16	112	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
17	118	Private	Agriculture	0.105 (Hectare)	0.105
18	119	Private	Agriculture	0.2232 (Hectare)	0.2232
19	121	Private	Agriculture	0.3342 (Hectare)	0.3342
20	122	Private	Agriculture	0.8667 (Hectare)	0.8667
21	158	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
22	159	Private	Agriculture	0.0565 (Hectare)	0.0565
23	160	Private	Agriculture	0.111 (Hectare)	0.111
24	161	Private	Agriculture	0.801 (Hectare)	0.801
25	170	Private	Agriculture	0.0456 (Hectare)	0.0456
Total					4.0476

[F. No. NH-Inprinciple-MHR-2016-17-1011/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director